भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-28-2012-एमपीलैड्स

Dated 24 अप्रैल, 2012

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः- एमपीलैड दिशानिर्देशों में संशोधन-रेलवे हाल्ट स्टेशन का निर्माण ।

महोदय/महोदया,

रेलवे तक सहज पहुंच के वास्ते स्थानीय लोगों की सहायता के लिए एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत रेलवे हाल्ट स्टेशनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने हेतु सरकार को सांसदों से अभ्यावेदन तथा सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है निम्नलिखित पैरा के अनुसार एमपीलैड योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यकलापों की अनुमति दी जाए तथा इसे एमपीलैड योजना दिशानिर्देशों के पैरा 3.35 के रूप में जोड़ा जाए:-

3.35 रेलवे हाल्ट स्टेशन का निर्माण: यदि सांसद द्वारा एमपीलैड योजना की निधि का प्रस्ताव किया जाता है तो रेल में चढ़ने/उतरने के लिए स्थानीय समुदाय को मदद देने के वास्ते रेलवे हाल्ट स्टेशन के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है । कार्यान्वयन रेलवे के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन होगा ।

3.35.1 यदि रेलवे भी ऐसे कार्यकलापों में सहयोग दे रहा है तो व्यय के लेखों का एमपीलैड्स तथा रेलवे दोनों के लिए पूरी तरह अलग-अलग रखरखाव किया जाएगा तथा किसी द्विरावृत्ति/दुहरे लेखांकन को रोकने के लिए कड़ाई से जांच की जाए । शामिल लागत, एमपीलैड्स/रेलवे द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई है, शुरुआत, समापन और उदघाटन तथा कार्य को प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली पट्टिका (इस्पात/धातु) स्थायी रूप से लागाई जानी चाहिए ।

2. एमपीलैड योजना के कार्यानवयन में इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

3. इस माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के.चौधरी)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।